

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1205 सन 2021

अनवान :-

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
2. अभिमन्यू पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
3. अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
4. मोनिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
5. सुर्यमुखी पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
6. शकुन्तला देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
8. गुडडी उर्फ सरस्वती देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 140/121 की कुल 13.9150हैक व रोही मौजा चक 7 आरएमजी की कुल 123/121 की कुल 0.5060हैक रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 96/93 की कुल 3.2890हैक दीपलाना बारानी के खाता संख्या 11/11 की कुल 1.3920हैक रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 79/72 की कुल 5.3130हैक रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 85/81 की कुल 2.2390हैक व खाता संख्या 50/50 की कुल 6.8310हैक खाता संख्या 52/53 की कुल 0.5060हैक रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 174/164 की कुल 5.3130हैक रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 6.8310हैक रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 86/85 की कुल 8.8550हैक सोतीबडी के खाता संख्या 84/84 की कुल 14.2650हैक रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 37/36 की कुल 1.6940हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है।

वाद पूर्व में वादी के पिता हरिसिंह के नाम से दर्ज थी हरिसिंह एवं उसके पुत्र सुरेन्द्र कुमार के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने है एवं हरिसिंह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद पूर्व में वादी के पिता हरिसिंह के नाम से दर्ज थी हरिसिंह एवं उसके पुत्र सुरेन्द्र कुमार के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290 हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109 हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198 की कुल 6.5400 हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद पूर्व में वादी के पिता हरिसिंह के नाम से दर्ज थी हरिसिंह एवं उसके पुत्र सुरेन्द्र कुमार के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।


अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 140/121 के कुल खसरे 63 का कुल क्षेत्रफल 13.9150 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी के खाता संख्या 123/121 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 96/93 के कुल खसरे 21 कुल क्षेत्रफल 3.289 है0 भूमि व रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 11/11 के खसरा नं. 2 का कुल क्षेत्रफल 1.392


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है0 भूमि व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 79/72 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेले को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 85/81 के कुल खसरा 16 का कुल क्षेत्रफल 2.239 है0 भूमि व खाता संख्या 50/50 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि व खाता संख्या 52/53 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 174/164 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 95/92 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.831 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 39 का कुल क्षेत्रफल 8.855 है0 भूमि व रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 84/84 के खसरा नं. 87 का कुल क्षेत्रफल 14.2650 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 37/36 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 1.6940 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 उपखण्ड अधिकारी
 नोहर (हनुमानगढ)
 प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
 कैम्प कोर्ट...दिपलाना .

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
2. अभिमन्यू पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
3. अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
4. मोनिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
5. सुर्यमुखी पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
6. शकुन्तला देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
8. गुडडी उर्फ सरस्वती देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1205 सन 2021 निर्णय दिनांक- 14.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 140/121 के कुल खसरे 63 का कुल क्षेत्रफल 13.9150 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी के खाता संख्या 123/121 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 96/93 के कुल खसरे 21 कुल क्षेत्रफल 3.289 है0 भूमि व रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 11/11 के खसरा नं. 2 का कुल क्षेत्रफल 1.392 है0 भूमि व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 79/72 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेले को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 85/81 के कुल खसरा 16 का कुल क्षेत्रफल 2.239 है0 भूमि व खाता संख्या 50/50 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि व खाता संख्या 52/53 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 174/164 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 95/92 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.831 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 39 का कुल क्षेत्रफल 8.855 है0 भूमि व रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 84/84 के खसरा नं. 87 का कुल क्षेत्रफल 14.2650 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 37/36 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 1.6940 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...दीपलाना.